भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 259

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

कोयले की बोली प्रक्रिया

259. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लघु व्यवसायों/उद्योगों को जीवाश्म/जैव-ईंधनों की निरंतर और दीर्घकालिक आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कोयले की बोली/नीलामी प्रक्रिया में परिवर्तन/संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या परिवर्तन किए जाने का विचार है;

(ग) ऐसे संशोधनों से लाभान्वित होने वाले लघु व्यवसायों/उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है/उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए बिना दीर्घकालिक कोयला लिंकेज के लिए नीलामी हेतु एक पृथक पटल स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) ई-नीलामी के लिए प्रस्तावित पृथक पटल से छोटे उपभोक्ताओं को कितना लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) से कोयले की आपूर्ति मोटे तौर पर या तो कोयला लिंकेज के माध्यम से अथवा इन कोयला कंपनियों द्वारा आयोजित ई-नीलामी के माध्यम से की जाती है। विद्युत क्षेत्र को नए

कोयला लिंकेज शक्ति नीति, 2017 (और वर्ष 2019 तथा वर्ष 2023 में संशोधन) के प्रावधानों के तहत प्रदान किए जाते हैं। एनआरएस के लिए लिंकेज की नीलामी हेतु गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) को कोयला लिंकेज 2016 की नीति (और वर्ष 2020 में संशोधन) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

सीआईएल/एससीसीएल द्वारा कोयला उपभोक्ताओं के साथ की गई संविदाओं की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं के तहत प्रदान किए गए कोयला लिंकेजों के तहत भी कोयले की आपूर्ति की जाती है। उपर्युक्त कार्यतंत्र के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र/एनआरएस को कोयला लिंकेज केवल विनिर्दिष्ट अंत्य उपयोगकर्ताओं के लिए है। शक्ति नीति और एनआरएस के लिए लिंकेज की नीलामी की नीति में अंत्य उपयोग प्रतिबंधों को हटाने की अनुमति देने के लिए आगे संशोधन नहीं किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, कोयले का वितरण राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित राज्य नामांकित एजेंसियों (एसएनए) के माध्यम से उन लघु/मध्यम/अति लघु कोयला खपत इकाईयों को भी किया जाता है जिनकी आवश्यकता 10,000 टन प्रति वर्ष से कम है।

कोयला कंपनियों द्वारा सिंगल विंडो ई-नीलामी के अंतर्गत भी कोयले की बिक्री की जाती है जिसमें बिना किसी अंत्य उपयोग प्रतिबंध के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ई-नीलामी संचालित करने के तौर-तरीकों का निर्णय कोयला कंपनियों द्वारा किया जाता है।

*****